

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS (MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT VIDE ORDER DATED 30TH DAY OF NOVEMBER, 2023 PASSED BY THIS COMMISSION IN CASE NO. 127 OF 2022 (ST. MARY'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL, BHATERA, WARD NO. 2, BALAGHAT, MADHYA PRADESH - 481001 VS SECRETARY, BACKWARD CLASSES AND MINORITY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, ROOM NO. 339, MANTRALAYA, BHOPAL, MADHYA PRADESH) ST. MARY'S ENGLISH MEDIUM SCHOOL, AN UNAIDED INSTITUTION (SECONDARY LEVEL) RUN BY NAGPUR ROMAN CATHOLIC DIOCESAN CORPORATION (PVT) LTD (NGC DARPAN UNIQUE ID: MH/2017/0165208) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004 WITH THE MAIN OBJECTIVE OF SUB-SERVING THE INTEREST OF THE CHRISTIAN COMMUNITY.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 01ST DAY OF JANUARY, 2024.

(MANO) KUMAR KEJREWAL) SECRETARY

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि 2022 के वाद संख्या 127 (सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, भटेरा, वार्ड नं. 2, बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481001 बनाम सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नं. 339, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश) में आयोग द्वारा दिनांक 30 नवंबर, 2023 को पारित आदेश के अनुसार सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक सहायता रहित संस्थान (माध्यमिक स्तर) जो कि नागपुर रोमन कैथोलिक डायोसेसन कॉर्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड (एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी: MH/2017/0165208) द्वारा संचालित है, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(g) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ईसाई समुदाय का हितसाधन करना है।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2024 को दिया गया।

(मनोज कुमार केजरीवाल) सचिव

Ton des